वित्तीय स्वीकृति

संख्या. I|235936 /XXVIII(3)24-e-file/comp. No-21140/22

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक 7 जून, 2024

विषय– ECRP Phase-II के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सल्ट (अल्मोड़ा) और चौखुटिया के अन्तर्गत आक्सीजन पाईप लाईन एवं LMO के शेड की स्थापना और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोईवाला एवं सहसपुर (देहरादून) में आक्सीजन प्लांट एवं शेड तथा विद्युत कार्य के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–7प/1/निर्माण/21/2021/16906 दिनांक दिनांक 26.06.2024 के क्रम में Emergency Response and Health System Preparedness Package (ECRP Phase-II) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सल्ट (अल्मोड़ा) और चौखुटिया के अन्तर्गत आक्सीजन पाईप लाईन एवं LMO के शेड की स्थापना हेतु क्रमशः रू. 45.69 लाख व रू. 45.69 लाख तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोईवाला एवं सहसपुर (देहरादून) में आक्सीजन प्लांट एवं शेड तथा विद्युत कार्य के भुगतान हेतु रू. 5.59 लाख इस प्रकार कुल रू. 97.07 लाख(रू. सत्तानवे लाख सात हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. उक्त कार्यों हेतु ECRP-II योजनान्तर्गत आवंटित/अनुमोदित धनराशि जो कि विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निवर्तन पर रखी गयी है एवं एन0एच0एम0 को उपलब्ध करायी गयी है, से वहन की जायेगी।
ii. अवमुक्त धनराशि का उपयोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों की प्रकृति ECRP-II की गाइडलाईन के अनुरूप हो।
iii. आपदा राहत कोष या किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त हुयी हो तो धनराशि संबंधित आपदा राहत कोष को तत्काल प्रत्यावर्तित की जायेगी या समायोजित कर ली जायेगी।
iv. अवमुक्त की जा रही धनराशि तत्काल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
v. अवमुक्त की जा रही धनराशि के संबंध में यदि उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के अनुमोदन की आवश्यकता हो तो यथासमय अनिवार्य रूप से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
vi. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है। धनराशि का आहरण/व्यय संबंधित वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों, बजट मैन्युएल उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 समय समय पर यथासंशोधित के अन्तर्गत एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।

vii. उक्त अवमुक्त धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जाएगी। अवमुक्त की गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 30.06.2024 या 31.03.2025 जो भी हो, कर लिया जाय। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जायेगा।

viii. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए ही किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में धनराशि का अनावश्यक व्यय कदापि न किया जाय। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय–समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

ix. अवमुक्त की जा रही धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

x. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार के आदेशानुसार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व में कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु महानिदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

xi. निर्माण/अधिप्राप्ति कार्य में समस्त तकनीकी विधाओं का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।

xii. कार्यों की मॉनिटरिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड तथा महानिदेशक, चिकित्सा– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से नियमित रूप से की जाएगी।

xiii. कार्यों के संबंध में समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए पूर्ण की जायेंगी तथा विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण/अधिप्राप्ति कार्यों को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

xiv. कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी प्रत्येक कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या 12 के संगत लेखाशीर्षक/मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/201358/9(150).2019/XXVII(1)/ 2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 में की गयी व्यवस्थानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by R. Rajesh Kumar
Date: 29-08-2024 15:24:19

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. - निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. - जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।

5. - मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।
6. - वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
7. - वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. - वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त अनुभाग–1/नियोजन विभाग।
9. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jaswinder Kaur
Date: 03-09-2024 15:18:07
(जसविन्दर कौर)
उप सचिव।